भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3333
08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान कार्ड हेतु भविष्य निधि पंजीकरण

3333. डॉ. राजीव भारद्वाजः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र होने हेतु भविष्य निधि (पीएफ) पंजीकरण आवश्यक नहीं है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबा जिलों में कितने आयुष्मान कार्डधारक हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत लाभार्थी परिवारों के लिए पात्रता मानदंड की पहचान शुरू में 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 6 वंचना और 11 व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर की गई थी। इसके अलावा, जनवरी 2022 में, 11.7% की दशकीय वृद्धि दर के आधार पर, भारत सरकार ने लाभार्थी आधार को 12 करोड़ परिवारों तक विस्तारित किया और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसे एसईसीसी लाभार्थियों संबंधी लाभार्थी सत्यापन, जिनकी पहचान और सत्यापन नहीं हो सकी, के लिए अन्य डेटाबेस (समान सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल) का उपयोग करने हेतु लचीलापन प्रदान किया। एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने वाले कई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने गैर-एसईसीसी डेटा स्रोतों (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राज्य विशिष्ट डेटासेट सहित) का उपयोग करके योजना के तहत अपनी लागत पर लाभार्थी आधार का और विस्तार किया है।

मार्च 2024 में, इस योजना के अंतर्गत पात्रता मानदंडों को विस्तारित करते हुए 37 लाख मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कर्मियों (आशा), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू), आंगनवाड़ी सहायिकाओं

(एडब्ल्यूएच) और उनके परिवारों को शामिल किया गया। इसके अलावा, अक्टूबर 2024 में, सरकार ने वय वंदना कार्ड के माध्यम से, 4.5 करोड़ परिवारों के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का नि:शुल्क उपचार लाभ प्रदान करने के लिए एबीपीएमजेएवाई का विस्तार किया।

(ग): आदिनांक, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबा जिलों में क्रमशः कुल 2,98,396 और 93,862 आयुष्मान कार्ड सृजित किए जा चुके हैं।

*****